05.11.024 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकारान उप.। अप्रार्थी संख्या 4,5,8 की रजि.एडी. डिलवरी रिपोर्ट पेश इनको बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जात है। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,6,7–अ, को जवाब हेतु अवसर देने बावजूद जवाब पेश नही किया अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौज सांचौर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खाता संख्या 9 खेत खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.44 हैक्टयर, खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.38 हैक्टयर, खाता संख्या 407 के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.32 हैक्टयर, खाता 406 के खसरा नम्बर 729/3068,1480, 1484, 1485/3067 रकबा 0.44 हैक्टयर, खाता संख्या 408 के खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.62 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी प्रथम बंदोबस्त में प्रार्थीया के पिता श्री रूपा पुत्र पांचो उर्फ पांचा के नाम दर्ज थी। मेरे पिताजी रूपाजी की मृत्यु 12.4.1998 को हो गई तथा उनके फौत होने के बाद पुत्र अप्रार्थीगण मांगीलाल,मोहनलाल,चंदुलाल,पवनराम ने राजस्व कर्मचारियो के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचकर अकेले पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में उतराधिकारीयों के तौर पर दर्ज करवाया। तथा बिना किसी विधिक अधिकार के राजस्व कर्मचारियों ने अपने को प्रदत विधिक अधिकारों से परे जाकर मुझे मेरे विधिक एवं खातेदारी हको से महरूम कर दिया। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति होने से मुझ प्रार्थीया का जन्मसिद्व हक निहित है। मुझे इन तथ्यों की जानकारी होने पर मैंने अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 से उक्त मेरे हिस्से की भूमि मेरे नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, तथा मुझे मौके से मेरे पुराने कब्जे से जबरन डंडे के बल पर बेदखल करने की तथा उक्त वादग्रस्त आराजी किसी बदमाश प्रवृति या भू माफिया को बैचान करने की धमकी दी। इस प्रकार तीनों आधारभूमि बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में होने से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 ता 7–अ की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खाता संख्या 9 खेत खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.44 हैक्टयर, खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.38 हैक्टयर, खाता संख्या 407 के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.32 हैक्टयर, खाता 406 के खसरा नम्बर 729/3068,1480, 1484, 1485/3067 रकबा 0.44 हैक्टयर, खाता संख्या 408 के खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.62 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:05 IST
Reason: SelfAttested

12/11/24
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner